न्यायालय विशेष न्यायाधीश ,एन डी पी एस एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या– 13, गाजियाबाद ।

उपस्थित– चन्द्र भान सिंह, एच जे एस

JD ID N0 UP 6180

एस एस टी सं० 523/2019

सरकार बनाम दीपक पुत्र शम्भू पाठक निवासी यादव के मकान मे किराये पर ,चेतराम हास्पिटल के पास छिजारसी थाना छिजारसी गौतमबुद्धनगर ।
मु०अ०सं० 2263/2019
धाराः 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थानाः इन्दिरापुरम गाजियाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत आपराधिक वाद अभियुक्त दीपक पुत्र शम्भू पाठक निवासी यादव के मकान मे किराये पर ,चेतराम हास्पिटल के पास छिजारसी थाना छिजारसी गौतमबुद्धनगर के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 2263/2019 धाराः 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उ०नि० रविता चौधरी द्वारा दिनांक 17–10–2019 को फर्द बरामदगी थाना इन्दिरापुरम पर इस आशय की प्रस्तुत गई कि दिनांक 17–10–2019 को वह, अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ थाने से वहवाले रपट सं० 27 समय 11.26 बजे रवाना होकर चैकिंग व शान्ति व्यवस्था हेतु गश्ते करते हुए पुस्ता रोड शिव मन्दिर के पास पहुचे कि एक व्यक्ति नोएडा छिजारसी कट की तरफ से शिव मन्दिर की ओर रोड पर अपने दाहिने हाथ में सफैद गुलावी बैग आते दिखाई दिया और पुलिस को देख कर वापस जाने लगा , शक होने पर उस व्यक्तिको घेर घोटकर पकड लिया तो उसने अपने पास गाजा होना बताया। उप निरीक्षक द्वारा पकडे गये व्यक्ति को उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए बताया कि यदि वे चाहे तो अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष चलकर दे सकते है। इस पर उन्होनें उपनिरीक्षक को ही जामा तलाशी लेने की अनुमति दी , सहमति पत्र तैयार कराकर दोनों के हस्ताक्षर बनवाये गये। अभियुक्त का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अभियुक्त दीपक पुत्र शम्भू पाठक निवासी यादव के मकान मे किराये पर ,चेतराम हास्पिटल के पास छिजारसी थाना छिजारसी गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम बैजानी थाना जगदेशपुर जिला भागलपुर विहार बताया तथा , इसकी जामा तलाशी में दाहिने हापथ में पकडे थैले को खोल कर देखा तो उसमें गाजे जैसी गन्ध आ रही थी तथा थैले पर गाधी आश्रम लिखा हुआ था ,तराजू से तोलने पर बरामद शुदा गाजे का कुल 1 किलो 300 ग्राम पाया गया तथा गाजा रखने का लाईसेन्स तलब किया तो दिखाने में कासिर रहे। बरामदशुदा गाजे में से 50–50 ग्राम गाजा बतौर नमूना अलग – अलग सफेद कपडों में रखकर सिलकर, सील सर्वे मुहर कर, नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी , हमराहीयान के दस्तखत कराये गये। । अभियुक्त की गिरफतारी की सूचना थाने पहुच कर उचित माध्यम से दी गई। अभियुक्त एवं माल को थाने दाखिल किया गया ।

उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर मु०अ०सं० 2263/2019 धाराः 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्टके अधीन अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।चिक तैयार की गयी जिसका खुलासा रोजनामचाआम में किया गया। विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी उनके द्वारा गवाहान के बयान अन्तर्गत 161 द०प्र०सं० लेखबद्ध किये गये तथा घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। विवेचना सबम्बन्धी समस्त औपचारिकताए पूर्ण करने के

उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या मु०अ०सं० 2263/2019 धाराः 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत आरोप पत्र इस न्यायालय़ में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13–12–2019 को संज्ञान लिया गया।

मेरे द्वारा अभियुक्त को धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप से दिनांक 9–1–2020 को आरोपित किया गया, अभियुक्त ने दोषी होने के अभिवचन से इन्कार किया एवं परीक्षण की याचना की।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी0 डब्लू0 1 का० विकास ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है दिनांक 17–2–19 की फर्द बरामदगी अभियुक्त दीपक के विरूद्ध 8/20 एन डी पी एस एक्ट के तहत एस आई सविता चौधरी ने तैयार की जिनको लिखते पढते देखा है एवं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है जिस पर प्र०क–1 डालने का कथन किया तथा जी डी का खुलासा रजनीश पान्डे ने किया जिसके हस्ताक्षर पहचानता है जिसे प्र०क–2 व राजीव कुमार के द्वारा एफ आई आर टाईप करते हुए देखा है उस पर प्र०क–3 तथा एस आई सन्तोष कुमार के लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये गये नक्शा नजरी को प्र०क–4 डालने का कथन किया है । आरोपपत्र एस आई सुनील कुमार के लेख वह हस्ताक्षर मे होने का कथन करते हुए उस पर प्र०क–5 डालने का कथन किया है ।गिरफतारी मीमो एवं प्रारूप 50 एन डी पी एस एस भी एस आई रविता चौधरी द्वारा तैयार करने कथन करते हुए उन्हे क्रमशः प्र०क–6 एवं प्र०क–7 के रूप में साबित किया ।

पी0 डब्लू0 1 विकास ने जिरह में कथन किया है कि वह थाना इन्दिरापुरम पर वर्ष 2017 से तैनात है । यह कहना सही है कि उसने एस आई रविता चौधरी व एस आई सुनील कुमार को थाने पर कार्य करते देखा है व लिखते पढते देखा है । जिरह में साक्षी का कथन है कि उसने एस आई रविता चौधरी व एस आई सुनील कुमार को थाने पर कार्य करते देखा है व लिखते पढते देखा है

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल फर्द बरामदगी प्र०क–1, जी डी प्र०क 2 ,प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क 3, नक्शा नजरी प्रदर्श क 4, आरोप पत्र प्रदर्श क 5, गिरफतारी मीमो प्र ०क–6 जामा तलाशी प्रारूप धारा 50 एन०डी०पी० एस०एक्ट प्रदर्श क 7, पत्रावली पर दाखिल कर साबित की गयी है ।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को सही बताते हुए , सही साक्ष्य देने कथन किया तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया एव कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की है । इसी स्तर पर अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र दिनांकित 27–2–20 प्रस्तुत किया गया जिसे पत्रावली पर रखा गया । अतः अब अन्य किसी अभियोजन साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः अभियोजन का साक्ष्य समाप्त किया।

मैंने विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के सविस्तार तर्क सुने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

इस प्रकार पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि अभियोजन द्वारा पी0 डब्लू0–1 विकास को परीक्षित किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 17–2–19 की फर्द बरामदगी अभियुक्त दीपक के विरूद्ध 8/20 एन डी पी एस एक्ट के तहत एस आई सविता चौधरी ने तैयार की जिनको लिखते पढते देखा है एवं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है जिस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्र०क–1, जी डी प्र०क 2 ,प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क 3, नक्शा नजरी प्रदर्श क 4, आरोप पत्र प्रदर्श क 5, गिरफतारी मीमो प्र ०क–6 जामा तलाशी

प्रारूप धारा 50 एन०डी०पी० एस०एक्ट प्रदर्श क 7, साबित की है । पी०डब्लू०विकास ने जिरह में कथन किया है कि उसने उपरोक्त व्यक्तियो को लिखते पढते देखा है ।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति, पी०डब्लू० 1 विकास की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है कि अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 17–10–2019 को समय 12.00 बजे स्थान विजयनगर आटो स्टेण्ड गाजियाबाद के क्षेत्र में पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गाजा बरामद किया था जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेन्स नहीं था अतः अभियुक्त दीपक के विरूद्ध लगाया गया आरोप सन्देह से परे साबित होता है।

अतः अभियुक्त दीपक अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

अभियुक्त दीपक को अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है ।

सजा के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लन्च बाद पेश हो।

(चन्द्रभान सिंह)
दि0 17.3.2020 विशेष न्यायाधीश, एन डी पी एस एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–13
गाजियाबाद।

लंच पश्चात दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह बहुत गरीब है, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कम से कम दण्ड दिया जावे, जबकि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त नशे के कारोबार में लिप्त है अतः उसे कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गाजा बरामद हुआ था , जिसको रखने का आपके पास कोई वैध लाईसेन्स नहीं था अभियुक्त दीपक कारागार में निरूद्ध है ,उसने स्वंय को गरीब व परिवार का अकेला कमाने वाला होना कहा है ।

अतः बरामदगी की मात्रा तथा अभियुक्त की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को विचार में लेते हुए अभियुक्त दीपक को धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप के अन्तर्गत 5 माह (पांच माह) के कठोर कारावास एवं 10,000/– रू0 (दस हजार रू0) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जायेगा ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त दीपक को धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप के अन्तर्गत 5 माह (पांच माह) के कठोर कारावास एवं 10,000/– रू0 (दस हजार रू0) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड की सजा भुगतनी होगी ।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारागार में बितायी गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। तद्नुसार सजायाबी वारन्ट अबिलम्व जेल अधीक्षक को भेजा जाए ।

अभियुक्त द्वारा धारा 437A के प्राविधान के अन्तर्गत पच्चीस हजार रूपयें की दो जमानते एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एक माह के अन्दर इस आशय का दाखिल किया जाये कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में योजित होती है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे तलब किये जाने पर,अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा ।

माल मुकदमा वस्तु प्रदर्श ,अपील की अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे,अपील न होने व अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अधीन वस्तु प्रदर्श का निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा ।

अभियुक्त को अविलम्ब निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

दिनांक–17–3–2020

(चन्द्रभान सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 13,गाजियाबाद।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित कर उदघोषित किया गया ।

दिनांक–17–3–2020

(चन्द्रभान सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 13,गाजियाबाद।